न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं उपखण्ड मजिस्ट्रेट, कोटा

कमरानं. 09, कलेक्ट्रेट परिसर, कलेक्ट्रेट, नयापुरा, कोटा, राज.:–0744–2325871

GCMS NO.-2021/269

मिसल नम्बर– 67/2021

1.श्रीमती रूकमणी पत्नी श्री मुरली मनोहर उम्र 66 वर्ष जाति वाल्मिकी

2.श्री मुरली मनोहर पुत्र स्व0 श्री रतनलाल उम्र 72 वर्ष जाति वाल्मिकी निवासीगण चम्बल कॉलोनी के पीछे, हरिजन बस्ती, सकतपुरा कोटा

प्रार्थी।

बनाम

1.शारदा पत्नी बृजसुन्दर जाति वाल्मिकी उम्र 35 वर्ष

2.बृजसुन्दर पुत्र श्री मुरली मनोहर जाति वाल्मिकी उम्र 40 वर्ष निवासीगण चम्बल कॉलोनी के पीछे, हरिजन बस्ती, सकतपुरा कोटा

अप्रार्थीगण।

–:निर्णय:–

(भरण–पोषण एवं वरिष्ठ नागरिकों का कल्याण अधिनियम के तहत् प्रार्थना–पत्र।)

दिनांक 11/12/24

उपस्थिति:–

1.श्री अमर सिंह नरूका प्रार्थीगण अधिवक्ता।

2.श्री मनोज तिवारी अप्रार्थीगण अधिवक्ता।

भरण–पोषण एवं वरिष्ठ नागरिकों का कल्याण अधिनियम के तहत पत्रावली निर्णय प्रार्थना पत्र वास्ते पेश हुई। पत्रावली में निहित दस्तावेज यथा प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र का अवलोकन किया गया। प्रार्थना पत्र मे प्रार्थीगण पक्ष द्वारा निवेदित संक्षेपित तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थीगण बुजुर्ग दम्पत्ति है, जो अपने स्वयं के मकान में रहकर अपना जीवन यापन कर रहे है। प्रार्थीगण के तीन पुत्र जिनमें बृजमोहन 48 वर्ष, देवकीनन्दन उम्र 42 वर्ष, एवं बृजसुन्दर उम्र 40 वर्ष है तथा दो पुत्रियां है। जिनका नाम लक्ष्मी उम्र 45 वर्ष एवं रीना उम्र 35 वर्ष है। प्रार्थीगण ने अपने सभी संतानों का विवाह कर दिया है। प्रार्थीगण की पुत्रियां अपने अपने ससुराल में अपने पतियों एवं बच्चों के साथ निवास करती है तथा प्रार्थी का बड़ा पुत्र बृजमोहन जयपुर में निवास करता है और प्रार्थी देवकी नन्नद कुछ समय पूर्व प्रार्थीगण के छोटे पुत्र बृजसुन्दर एवं उसकी पत्नी शारदा से परेशान होकर लगभग 06 माह पूर्व घर छोडकर चला गया और मोहन लाल सुखाडिया योजना कुन्हाडी कोटा में निवास करने लग गया है। वर्तमान में प्रार्थीगण छोटा पुत्र बृज सुन्दर उसकी पत्नी व बच्चों के साथ प्रार्थीगण के घर में निवास कर रहे है। प्रार्थीगण का छोटा पुत्र बृजसुन्दर एवं पुत्र वधू शारदा आये दिन प्रार्थीगण के साथ लड़ाई झगडा करते रहते है, प्रार्थीगण के साथ प्रार्थीगण की पुत्रवधू शारदा मारपीट करती है और मारपीट करके घर से निकालने की धमकी देती है, खाना बनाकर नहीं

उपखण्ड अधिकारी
कोटा

देते इसलिये प्रार्थीगण, अपना अलग खाना बनाकर खाते है। प्रार्थीगण ने अपने पुत्र बृजसुन्दर एवं पुत्रवधू शारदा को निवास करने के लिये अलग से कमरे दे रखे है परन्तु वह आये दिनांक प्रार्थीगण को किसी न किसी बात को लेकर परेशान करते है तथा कहते है कि तुम इस घर से निकाल जाओ, नही तो हम तुम्हें जान से मार देंगे। प्रार्थीगण की पुत्रवधू, प्रार्थीगण को गंदी-गंदी गालियां देती है। घर से निकल जाने के लिये कहते है। प्रार्थीगण की हारी-बीमारी के खर्चे एवं खाने पीने का खर्चा भी प्रार्थीगण स्वयं ही वहन करते है। उक्त मकान जिसमें प्रार्थीगण निवास करते है, वह प्रार्थी कम 1 के नाम आवंटित है जिसको अप्रार्थीगण हड़प कर प्रार्थीगण को घर से निकालना चाहते है। अगर प्रार्थीगण उक्त स्वयं के मकान बाहर निकाल दिये गये तो प्रार्थीगण को दर -दर की ठोकरे खानी पड़ जाएेगी, प्रार्थीगण के पास स्वयं की अर्जित आय का एकमात्र निवास स्थान उक्त मकान ही है। जिस पर प्रार्थीगण का पूर्णरूप से स्वामित्व एवं कब्जा है। उक्त मकान में से अप्रार्थीगण को बाहर निकाला जाना अत्यन्त आवश्यक हो गया है, अप्रार्थीगण कभी भी, प्रार्थीगण के साथ अप्रिय घटना कारित कर सकते है इसलिये उनको उक्त मकान से निकाला जाना अति आवश्यक है। जिससे की प्रार्थीगण अपना जीवन सुचारू रूप से एवं सुलभ रूप से बगैर किसी कष्ट के जी सके। अतः प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन है कि प्रार्थीगण के मकान से अप्रार्थीगण को बेदखल करें ताकि प्रार्थीगण अपने खरीदशुदा मकान वाके- चम्बल कॉलोनी के पीछे, हरिजन बस्ती, सकतपुरा कोटा राजस्थान में शांतिपूर्ण जीवन जी सके तथा प्रार्थीगण को मासिक भरण पोषण के रूप में जो भी श्रीमान को उचित लगे अनुतोष दिलाया जावे।

प्रार्थना-पत्र को दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थीगण की तलबी हेतु नोटिस प्रेषित किये गये। बाद तलबी अप्रार्थीगण की ओर से जवाब प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि अप्रार्थीगण के विरूद्ध उपरोक्त वर्णित मुकदमा बिना किसी न्यायोचित कारण के केवल मिथ्या आरोप लगाकर पेश किया गया है। जिसकी वजह से अप्रार्थीगण का पूरा परिवार परेशान है। अप्रार्थीगण के तीन बच्चे हैं। जिनमें सबसे बड़ी पुत्री यश्वनी जिसकी उम्र मात्र 12 वर्ष है, उसके बाद पुत्री प्रतिज्ञा 9 वर्ष तथा पुत्र कुणाल मात्र 7 वर्ष का है । यह तीनों बच्चे अप्रार्थीगण के सांथ ही निवास कर रहे है। यदि किसी भी प्रकार से अप्रार्थीगण को मकान से बेदखल किया जाता है तो अप्रार्थीगण के पास में रहने का संकट उंत्पन्न हो जाएगा क्योंकि अप्रार्थी बृजसुंदर एक सफाई कर्मचारी है तथा प्राईवेट तौर पर किसी संस्था में सफाई का कार्य करके मात्र 5 से 6 हजार रूपये की इनकम कर पाता है। ऐसी स्थिति में अप्रार्थीगण को अलग से मकान लेना तथा उसका खर्चा वहन करना किसी भी प्रकार सम्भव नहीं हो पाएगा। अप्रार्थीगण अपने माता-पिता का पूरा सम्मान करते है और उनके साथ ही रह रहे है। परंतु अप्रार्थी बृजसुंदर के बड़े भाई बृजमोहन आयु 50 वर्ष, देवकीनंनदन आयु 43 वर्ष के उकसावे में आकर अप्रार्थी बृजसुंदर के माता-पिता ने यह मुकदमा किया है, जिसका सत्यता से कोई सम्बंध नहीं है । समस्त आरोप मिथ्या लगांये गये है और यह आरोप दोनों बड़े भाईयों के उकसावे में आकर लगाये गये है। अप्रार्थी बृजसुंदर के दो बड़े भाई बृजमोहन तथा देवकीनंदन आर्थिक और सामाजिक रूप से अत्यंत सुदढ अवस्था में है। श्री मुरली मनोहर जी (प्रार्थी क्रम-2) भी आर्थिक रूप से सुद्रढ़ व्यक्ति है। श्री मुरली मनोहर जी की वर्तमान में 15,000/-रूपये से ज्यादा पेंशन राशि प्राप्त होती है। जिसमें वह स्वयं का तथा श्रीमती रूक्मणी जी का पर्याप्त भरण-पोषण कर लेते है जबकि अप्रार्थी बृजसंदर प्राईवेट तौर पर काम करके मात्र 5 से 6 हजार रूपये प्रतिमाह की आय प्राप्त करता है। जो कि स्वयं के भरण पोषण के लिए भी पर्याप्त नहीं होती जबकि अप्रार्थीगण के उपर तीन बच्चों की स्कूल फीस,

उपखण्ड अधिकारी
कोटा

उनकी पढाई–लिखाई के अन्य खर्च, खाने–पीने का खर्च इन सब आवश्यकताओं के लिए अप्रार्थी बृजसुंदर की जो आय है वह अपर्याप्त है। ऐसी स्थिति में अपने माता – पिता को भरण पोषण की राशि दिया जाना किसी प्रकार से सम्भव नहीं है। जिस मकान का वर्णन इस मुकदमें में किया गया है जिस मकान के दो कमरों में अप्रार्थीगण निवास कर रहे हैं उन कमरों का निर्माण अप्रार्थी बृजसुंदर ने अपनी ससुराल से प्राप्त रकम से शादी के बाद करवाया है। जबकि श्री मुरली मनोहर जी द्वारा जमीन के पिछले हिस्से में निर्मित चार कमरों का निर्माण करवाया गया है। चूंकि मकान के जिस पोर्शन में अप्रार्थीगण निवास कर रहे हैं उनका निर्माण अप्रार्थीया शारदा के पीहर से प्राप्त राशि से करवाया गया है, इसलिए इन कमरों पर मूल रूप से शारदा का ही हक है इसलिए इन कमरों से बेदखल किया जाना किसी भी प्रकार से न्यायोचित नहीं है। अप्रार्थी बृजसुंदर के बड़े भाई श्री बृजमोहन जी सारवान अपने .परिवार के साथ जयपुर में निवास करते है तथा एक प्रतिष्ठित ठेकेदार है । मासिक रूप से उन्हें 70 से 80 हजार रूपये प्राप्त होते है। क्योंकि बृजमोंहन जी के पास आय के अच्छे साधन है उनके पास बड़ा मकान है, इसी वजह से श्रीमती शारदा और मुरली मनोहर जी (प्रार्थी क्रम–1 व 2) अपनी इच्छा से और बेहतर सुविधाओं की वजह जयपुर में निवास करने लगे है। बड़े भाई बृजमोहन के कहने पर ही अब मुरली मनोहर जी पूरे मकान को बेचकर जयपुर शिपट होना चाहते है और इसी उद्देश्य से यह मुकदमा किया गया है। प्रार्थीगण के विरूद्ध अप्रार्थीगण द्वारा कभी भी ऐसा कोई कार्य नही किया गया जिससे उन्हे परेशानी होती हो अपितु अप्रार्थीगण द्वारा उन्हें पूरा मान–सम्मान दिया जाता है। उनकी पूरी देखरेख की जाती है, इस वजह से जो आरोप लगाए गए है। वह समस्त आरोप मिथ्या, बेबुनियाद व असत्य है। मुकदमें की जड़ में बड़े भाई बृजमोहन का यह षड़यंत्र है कि कोटा स्थित इस मकान को जिसमें अप्रार्थीगण निवास कर रहे है को बेचान कर दिया जावे और संपूर्ण रकम बड़े भाई हड़प कर जाएँ। अप्रार्थी बृजसुंदर का दूसरा बंड़ा भाई देवकी नंदन कोंटा के ही मोहन लाल सुखाड़िया योजना में एक फ्लेट लेकर रह रहा है। चूंकि इसके द्वारा फ्लेट खरीद लिया गया है इसलिए उसने नये फ्लेट में परिवार सहित. निवास करना प्रारम्भ कर दिया है। इसलिए उसकी ओर से जो आरोप अप्रार्थीगण पर लगाये गये है वह पूर्णतया असत्य है।. प्रार्थीगण की ओर से पेश यह प्रार्थना पत्र असत्य, वेबुनियाद होने की वजह से खारिज होने योग्य है। अतः जवाब प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि प्रार्थीगण द्वारा पेश यह प्रार्थना पत्र खारिज किया जावे।

अप्रार्थीगण की ओर से लिखित बहस प्रस्तुत की गई एवं प्रार्थीगण की ओर से बहस में अप्रार्थीगण को उपरोक्त मकान से बेदखल किये जाने का निवेदन किया है।

हमने पत्रावली व संलग्न दस्तावेजों का आद्योपान्त अध्ययन किया बहस पर गंभीरता पूर्वक मनन किया। प्रार्थना पत्र में अप्रार्थीगण द्वारा प्रार्थीगण के साथ बदसलूकी, गाली गलौच एवं मारपीट करने एवं प्रार्थीगण को मकान से बेदखल करने का कथन किया है परन्तु प्रार्थीगण द्वारा अपने वर्णित कथनों के सम्बंध में इस प्रकार का कोई भी ठोस दस्तावेज या सबूत या रिपोर्ट प्रस्तुत नही की गई जिससे प्रार्थीगण के कथनों को प्रमाणित किया जा सके। जिस कारण से प्रार्थीगण अपने उक्त कथनों को सिद्ध करने में असमर्थ रहे है। अतः प्रार्थीगण द्वारा अप्रार्थीगण को वर्णित मकान चम्बल कॉलोनी के पीछे, हरिजन बस्ती, सकतपुरा कोटा से बेदखल किये जाने की प्रार्थना स्वीकार किया जाना उचित प्रतीत नही होता है। पत्रावली के अवलोकन से यह तथ्य स्पष्ट है कि उभयपक्षकारान के मध्य उपरोक्त विवादित मकान से संबंधित प्रकरण अन्य सिविल न्यायालयों में भी जैरकार है। समान परिसर एवं समान पक्षकारों के मध्य एक से अधिक न्यायालयों में प्रकरण के जैरकार होने से एवं हस्तगत प्रकरण में निर्णय पारित किये जाने से

उपखण्ड अधिकारी
कोटा

न्यायालयों के आदेशों में विरोधाभास उत्पन्न होने की पूर्ण सम्भावना है। उपरोक्त विवेचनानुसार हम हस्तगत प्रकरण में कोई कार्यवाही किया जाना उचित नही पाते है। परन्तु वरिष्ठ नागरिकों का भरण पोषण अधिनियम की भावना को ध्यान में रखते हुये न्यायहित में अप्रार्थीगण को पांबद किया जाता है कि वे प्रार्थीगण के साथ लड़ाई झगड़ा, मारपीट, गाली गलौच इत्यादि नही करें, उपरोक्त वर्णित मकान चम्बल कॉलोनी के पीछे, हरिजन बस्ती, सकतपुरा कोटा में प्रार्थीगण के शांतिपूर्वक निवास, उपयोग व उपभोग में किसी प्रकार की बाधा उत्पन्न नहीं करें।

उक्त निर्णय आज दिनांक 11/12/24 को मेरे द्वारा लिखा जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।

गजेन्द्र सिंह
उपखण्ड अधिकारी
कोटा